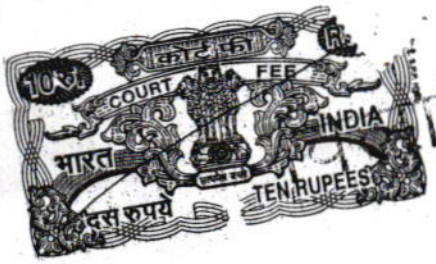

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 पुनरावलोकन

हीरालाल आत्मज बिहारीलाल गौतम
निवासी ग्राम– कोडिहाई तहसील–
सिरमौर जिला– रीवा म0प्र0 द्वारा मु
आम– प्रमोद कुमार –– आवेदक

विरूद्ध

1.श्रीमती जुग्गी देवी पत्नि स्व. मोहनलाल
निवासी रामरहीश शुक्ला का मकान
ग्राम– बुसौल जिला–रीवा
2.विनोद गौतम पुत्र राममिलन गौतम
ग्राम –कोडिहाई तह.सिरमौर जिला–रीवा

श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 1647–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 6–11–2013 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक का पुनरावलोकन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4108–तीन/13 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। उभयपक्ष के अधवक्तागण के रिव्यु आवेदन पर तर्क सुने। 2– मेरे द्वारा अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। 3– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1647–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 6.11.13 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4108–तीन/13 के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ताागण के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1647–तीन/2009 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 6.11.13 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 4108–तीन/13 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य